



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 नवम्बर, 2020

कार्तिक 27, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2

संख्या 9/2020/428/80-2020-100(17)-2020

लखनऊ, 18 नवम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-305

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7-क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल घोषणा करती हैं कि ग्राम सराय जगत, तहसील और जिला फतेहपुर में अवस्थित बहिरामपुर प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड, द्वारा पट्टाकृत नीचे ब्यौरेवार उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से विनिर्दिष्ट फल व सब्जी के थोक सौदों हेतु दिनांक 10 फरवरी, 2030 तक के लिये इस शर्त के साथ मण्डी उप स्थल होगा कि कृषक/विक्रेता से कोई मंडी शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा:-

मण्डी उप-स्थल का खसरा एवं चौहद्दी

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ग्राम सराय जगत, तहसील और जिला फतेहपुर स्थित गाटा संख्या-143 और गाटा संख्या-153 क्षेत्रफल 6945 वर्ग मीटर और गाटा संख्या-151 क्षेत्रफल 3240 वर्ग मी० गाटा का कुल क्षेत्रफल 10185 वर्ग मीटर है।

पूरब-सड़क रमवा रोड 36 फिट

पश्चिम-गाटा सं० 142 श्री शशि प्रताप के खेत

उत्तर-गाटा सं० 147, 150 श्री राजेन्द्र भान सिंह के खेत

दक्षिण-गाटा सं० 152, 134 श्री उदय भान सिंह के खेत

आज्ञा से,
डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 9/2020/428/LXXX-2-2020-100(17)-2020, dated November 18, 2020 :

No. 9/2020/428/ LXXX-2-2020-100(17)-2020

Dated Lucknow, November 18, 2020

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) read with rule 58-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed below leased by Bahirampur Producer Company Limited located in village Sarai Jagat, Tehsil and District Fatehpur shall be Market Sub-Yard for specified wholesale transaction of fruits and vegetables with effect from the date of publication of this notification in the *Gazette* till February 10, 2030 with the condition no mandi fee shall be charged from agriculturist-seller:-

Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

Gata no. 143 and Gata no. 153 area 6945 square meter and Gata no. 151 area 3240 square meter. Total area 10185 square meter located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, village Sarai Jagat, Tehsil and District Fatehpur .

East: Ramwa Road 36 feet

West: Field of Shashi Pratap, Gata no. 142

North: Field of Rajendra Bhan Singh, Gata no. 147, 150

South: Field of Uday Bhan Singh, Gata no. 152, 134

By order,
DR. DEVESH CHATURVEDI,
Apar Mukhya Sachiv.